कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / Q-1 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024 रायपुर, दिनांक 29.11.2024

––/ /आवश्यक सूचना/ /––

प्रवेश वर्ष 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (PG Degree MD/MS) की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु जारी प्रथम कॉउंसिलिंग आबंटन निरस्तीकरण सूचना

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा पत्र क्रमांक / 10980 / छात्र / संचिशि / 2024 रायपुर, दिनांक 29.11.2024 (संलग्न) के परिपालन में छ.ग. राज्य नीट चिकित्सा स्नातकोत्तर **(PG Degree MD/MS)** प्रवेश वर्ष 2024 की दिनांक 19.11.2024 को जारी प्रावीण्यता सूची एवं दिनांक 21.11.2024 को जारी प्रथम चरण का आवंटन को तत्काल प्रभाव से रदद् किया जाता है।

छ.ग. राज्य नीट चिकित्सा स्नातकोत्तर **(PG Degree MD/MS)** प्रवेश वर्ष 2024 की नवीन प्रावीण्यता सूची एवं प्रथम चरण कि काउंसिलिंग प्रक्रिया हेतु शीध्र ही सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित कि जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नियमित रूप से संचालनालय कि वेबसाईट www.cgdme.in का अवलोकन करें।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

for 29/11/2024

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

पृ. क्रमांक / Q-2 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024 रायपुर, दिनांक 29.11.2024

प्रतिलिपि :– 1. अधिष्ठाता, शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।

for 29/11/2024

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 10980 / छात्र / संचिशि / 2024 रायपुर, दिनांक / 29 NOV 2024

प्रति,

अध्यक्ष
काउंसिलिंग समिति
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

विषय :– छत्तीसगढ़ स्नाताकोत्तर चिकितसा प्रवेश हेतु जारी मेरीटलिस्ट एवं प्रथम आबंटन सूची को निरस्त कर संशोधित सूची जारी करने बाबत्।

संदर्भ :– **डॉ. अपूर्वा चंद्राकर, छात्रा रोल नं.–24661111230 का पत्र आवक क्र. 11962 दिनांक 29.11.2024।**

–00–

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से डॉ. अपूर्वा चंद्राकर, छ.ग. स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थी रोल नं.–24661111230 द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक एफ : 08–87 / 2024 / विज्ञप्त / 2064 नवा रायपुर, दिनांक : 29 / 11 / 2024 में डॉ. यश कुमार को जारी बोनस प्रतिशत (30%) के स्थान पर (16%) पढ़े जाने संबंधी जारी पत्र संलग्न कर दिनांक 19.11.2024 को प्रकाशित मेरिट सूची को तत्काल प्रभाव से रद्द करने तथा प्रथम आवंटन सूची को संशोधित कर नई सूची जारी करने का लेख किया गया है।

अतः प्राप्त पत्र का अवलोकन करें तथा नियमानुसार तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / 10981 / छात्र / संचिशि / 24 रायपुर, दिनांक / 29 NOV 2024

प्रतिलिपि :–

डॉ. अपूर्वा चंद्राकर **की ओर सूचनार्थ।**

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

सेक्टर–19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

क्रमांक एफ : 08–87/2024/विज्ञप्त/ नवा रायपुर, दिनांकः / /2024

प्रति,

संचालक,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा,
सेक्टर–19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, छ.ग.।

विषयः– पी.जी. प्रवेश के लिए संशोधित बोनस अंक प्रदाय किये जाने के संबंध में – डॉ. यश कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सूरजपुर।

संदर्भ :– 01. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – सूरजपुर के पत्र क्रमांक/6616/स्था.–01/2024 दिनांक 12.09.2024.
02. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – सूरजपुर के पत्र क्रमांक/8266/स्था.–01/2024 दिनांक 29.11.2024.

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – सूरजपुर के द्वारा डॉ. यश कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सूरजपुर को बोनस अंक प्रदाय किये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था। जिसके आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : एफ 8–87/2024/विज्ञप्त/1953 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा डॉ. यश कुमार को बोनस अंक प्रदाय किया गया। जिसमें डॉ. अपूर्वा चन्द्राकर के द्वारा डॉ. यश कुमार को प्रदाय किये गये बोनस अंक के संबंध में आपत्ति दर्ज किया गया है।

उपरोक्त संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक – 02 के माध्यम से संशोधित सेवा प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : एफ 8–87/2024/विज्ञप्त/1953 दिनांक 08.11.2024 द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र में डॉ. यश कुमार को जारी बोनस प्रतिशत (30%) के स्थान पर (16%) पढ़ा जावे।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक एफ : 08–87/2024/विज्ञप्त/2064 नवा रायपुर, दिनांकः 29/11 /2024

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित डॉ. यश कुमार को तामिल किया जाना सूनिश्चित करें।
02. डॉ. यश कुमार, चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. केन्द्र तारा, जिला – सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. डॉ. अपूर्वा चन्द्राकर की ओर सूचनार्थ।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner